


कार्यालय आदेश

राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में उद्यानिकी जिन्सों आवला, संतरा व ईसबगोल इत्यादि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए श्रीमान् निदेशक उद्यान राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ10(3) नि.उ./रा.यो./पी एच.एम./2009-10/5084-99 व 6008-23 दिनांक 22.10.2009 से निम्नलिखित प्रसंस्करण यूनिट्स स्थापित इकाईयों को प्रसंस्करण करने हेतु अनुदान स्वीकृति की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं:-

क्र. सं.	फर्म का नाम	प्रसंस्करण इकाई	अनुदान की प्रशा. स्वीकृति (राशि लाख रु. में)	बोर्ड हिस्सा राशि (राशि लाख रु. में)	ऋण दात्री बैंक का नाम
1.	मै. हितेषी न्यूट्रासियटिकल प्रा. लि. ग्राम जूनिया तह. केकडी (अजमेर)	आंवला	67.70	33.850	एस.बी.बी.जे केकडी
2.	मै. शीतलदास एगोफूड प्रोडक्ट्स रानीपुरा (कोटा)	आंवला	27.425	13.7125	एस.बी.बी.जे इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कोटा
3.	मै. कं.एस. बायोफूड्स ग्राम कीतरपुरा (जयपुर)	आंवला	17.455	8.7275	एस.बी.आई. कोटपूतली
4.	मै. रूपउदय एगोटिक प्रा. लि. ग्राम सोमी, तह. राश्मी (चित्तौड़गढ़)	आंवला	100.00	50.00	एस.बी.बी.जे न्यू फतेहपुरा उदयपुर
कुल			212.580	1,06,29000	

बोर्ड कार्यालय आदेश क्रमांक 12715-27 दिनांक 22.12.2009 से उपरोक्त प्रसंस्करण इकाईयों को अनुदान की किश्त जारी करने से पूर्व इन यूनिट्स का भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी गठित की गई थी। उक्त कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपरान्त उपरोक्त इकाईयों को बोर्ड हिस्से के अनुदान किश्त की राशि रुपये 1,06,29000/- (राशि एक करोड़ छः लाख उन्तीस हजार) मात्र निदेशक उद्यान राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 5084-99 व 6008-23 दिनांक 22.10.2009 के अधीन शर्तों अनुसार किसान कल्याण कोष से वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए भुगतान की स्वीकृति जारी की जाती है। उक्त स्वीकृति श्रीमान् प्रशासक महोदय बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त जारी की गई हैं।


वित्तीय सलाहकार